

डिक्की मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. उदयचन्द उर्फ अदेयचन्द पुत्र शंकर | जाति मीना निवासी सहजनपुर
तहसील टोडाभीम जिला करौली |
| 2. नन्दकिशोर पुत्र शंकर | |
- राजस्थान ----- वादीगण

बनाम

- | | |
|---|--|
| 1. खूबी उर्फ खुन्नी पुत्र मुरली | जाति गुर्जर निवासी अलीपुरा

तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 2. रामजीलाल पुत्र हरमुख | |
| 3. सूबे पुत्र मुरली | |
| 4. पून्या पुत्र मुरली | |
| 5. सन्तो बेबा धनीराम | |
| 6. मीरा पुत्री धनीराम | |
| 7. लीला पुत्री धनीराम | |
| 8. रूपसिंह पुत्र भैरो | |
| 9. विरखा पुत्र भैरो | |
| 10. तुलसीराम पुत्र भैरो | |
| 11. शिवसिंह पुत्र भैरो | |
| 12. मलुआ पुत्र भैरो | |
| 13. तहसीलदार तहसील हिण्डौन | |
| 14. जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान ----- प्रतिवादीगण | |

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 35/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्की दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 965 रकबा 0.32 है0वाके ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन का वादी सं01 उदयचन्द उर्फ अदेयचन्द पुत्र शंकर जाति मीना निवासी सहजनपुर तहसील टोडाभीम को हिस्सा 9/10 एवं विरखा तुलसीराम शिवसिंह मलुवा पि0 भैरो बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/10 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये -

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 965 रकबा 0.32 है० वाके ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन में वादी सं०1 के हिस्सा 9/10 भाग के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1-8-22.....
को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला कसौली
हिण्डौन सिटी (करौली)